अंतिम संस्कार सहायता योजना

पात्रता- मंडल की यह योजना लोकसेवा गारंटी स्कीम 2010 में दिनांक 17.09.2021 से सेवा क्रमांक 2.34 के रूप में सम्मिलित है। म.प्र. श्रम कल्याण निधि 1982 के अंतर्गत आने वाले संस्थानों/ स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार द्वारा लोक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। आवेदक को नियोजक से यह सत्यापित कराना होगा कि मृत श्रमिक उनके संस्थान / स्थापना में कार्यरत था। इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज (छायाप्रतियां)

- मृत्यू प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार पत्र
- बैंक पास बुक, प्रथम पृष्ठ
- आवेदन का संस्थान/स्थापना से प्रमाणीकरण

स्वीकृतकर्ता अधिकारी- मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जो जनसंपर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक , कल्याण निरीक्षक इस योजना में पदाभिहित अधिकारी नियुक्त है।

वर्तमान सहायता राशि :- रूपये **6000/-**